193–झाबुआ (अजजा) विधान सभा क्षेत्र

जिला : झाबुआ (322 मतदान केन्द्र) एवं अलीराजपुर (34 मतदान केन्द्र)

राज्य सरहद : गुजरात राज्य

थाने : जिला झाबुआ – झाबुआ, राणापुर, कल्याणपुरा एवं
जिला अलीराजपुर – उदयगढ़, बोरी

मतदान केन्द्र : 356 (312 ग्रामीण + 44 शहरी)

मतदाता : 2,76,982 (21/09/2019 की स्थिति में)

महिला	:	1,37,882
पुरूष	:	1,39,097
तृतीय लिंग	:	3

लिंग अनुपात : 992

EVM की उपलब्धता

BU	- 696
CU	- 703
VVPAT	- 672

पूर्व निर्वाचनों में 193–झाबुआ (अजजा) विधान सभा का मतदान प्रतिशत

लोक सभा निर्वाचन 2019 – 70.80%

विधान सभा निर्वाचन 2018 – 65.26%

193 – झाबुआ (अजजा) विधान सभा क्षेत्र का नक्शा

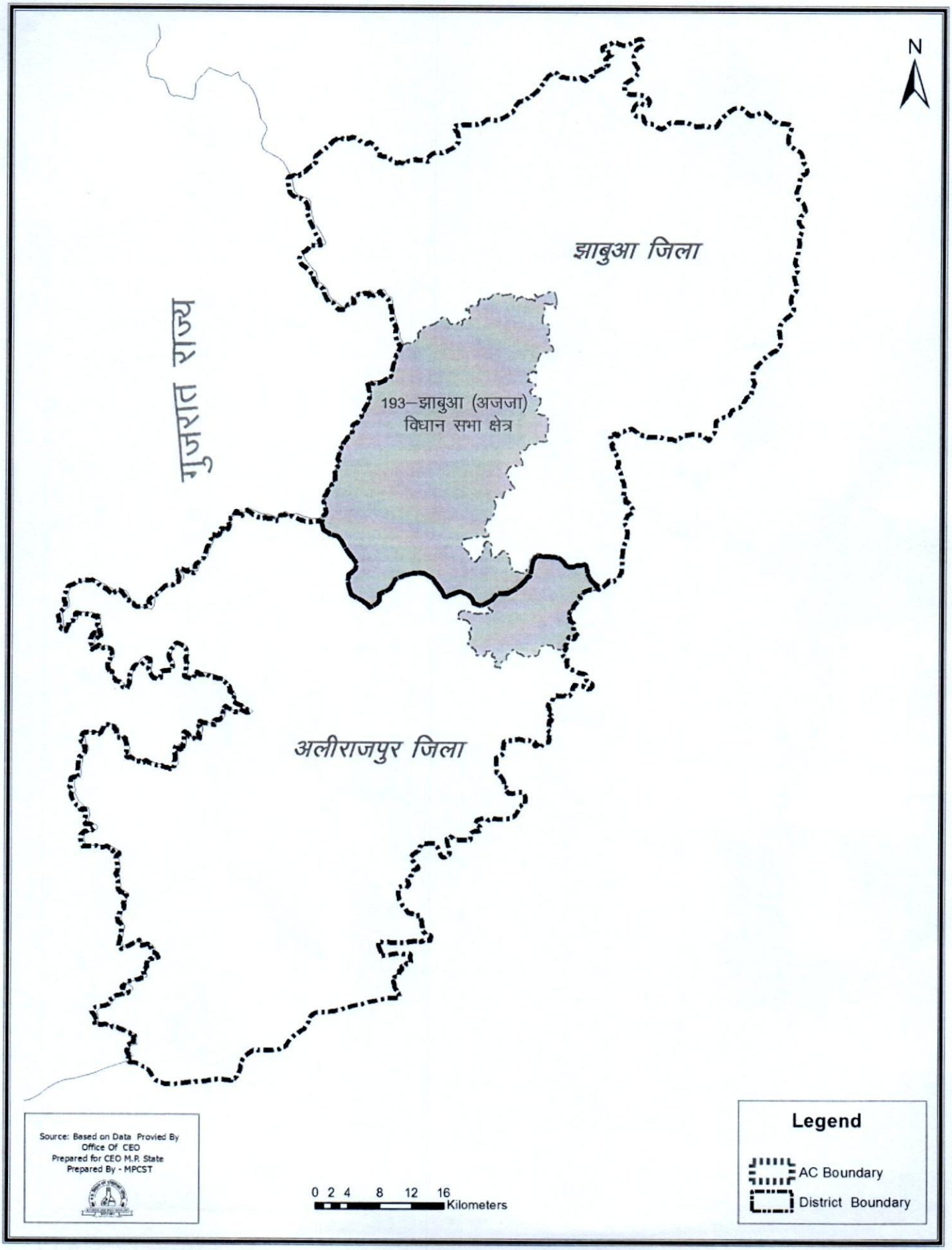

विधानसभा उप चुनाव 193–झाबुआ (अजजा)

आदर्श आचार संहिता की प्रभावशीलता

(1.1) उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही उप चुनाव क्षेत्र के दोनो जिलो अर्थात झाबुआ एवं अलीराजपुर में आचार संहिता प्रभावशील हो जावेगी।

(1.2) जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उप चुनाव का परिणाम घोषित किया जाता है, आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जायेगी।

मंत्रीगण द्वारा भ्रमण

(2.1) केन्द्र अथवा राज्य के कोई मंत्री शासकीय दौरा तथा निर्वाचन कार्य को combine नही कर सकते।

(2.2) आचार संहिता वाले क्षेत्र में मंत्रीगण का दौरा पूर्णतः निजी होगा।

(2.3) यदि मंत्री अपने शासकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आचार संहिता प्रभावित जिले से होकर जा रहे है तो वह उस जिले में halt नही करेंगें, और न ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम को attend करेंगे।

(2.4) आचार संहिता प्रभावित जिले के किसी भी श्रेणी के अधिकारी को मंत्रीगण द्वारा किसी meeting इत्यादि के लिए किसी अन्य जिले में भी नही बुलाया जा सकेगा।

(2.5) यदि कोई अधिकारी आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में मंत्रीगण के निजी दौरे पर भी उनसे मुलाकात करता है तो वह कदाचरण का दोषी होगा, साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 (1) के प्रावधान भी लागू हो सकते है।

(2.6) मंत्रीगण द्वारा आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में अपने निजी दौरे के दौरान भी पायलेट कार, सायरन आदि का उपयोग नही किया जायेगा भले ही उन्हे security cover उपलब्ध हो।

(2.7) केन्द्र अथवा राज्य के मंत्रीगण के आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र के प्रस्तावित दौरो की अग्रिम जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जावेगी।

नई स्कीम/परियोजना की घोषणा

(3.1) कोई भी नई शासकीय स्कीम/परियोजना जो आचार संहिता के पूर्व वास्ताविक रूप से फील्ड में प्रारंभ नही हुई है, चुनाव प्रकिया पूरी होने के बाद ही प्रारंभ की जा सकेगी।

(3.2) पूर्ण कार्यो के लिए राशि जारी करने पर कोई प्रतिबंध नही है। संबंधित अधिकारी को स्वतः पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए।

(3.3) सांसद निधि/विधायक निधि के अन्तर्गत नई धनराशि जारी करने पर रोक रहेगी।

शासकीय व्यय पर विज्ञापन

(4.1) आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में कोई नई scheme का प्रचार नहीं किया जायेगा।

(4.2) आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र के लिए किसी विशिष्ट संदर्भ को इंगित करने वाला कोई विज्ञापन शासकीय व्यय पर नही दिया जा सकता।

शासकीय बेवसाईट के संबंध में कार्यवाही

(5.1) शासकीय बेवसाईट से आचार संहिता की अवधि के दौरान उन सभी राजनेताओं/मंत्रीगण के संदर्भ हटाये जायेंगे, जो संबंधित उप चुनाव में उम्मीदवार हो।

अधिकारियों की पदस्थापना एवं स्थानान्तरण

(6.1) निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े हुऐ ऐसे अधिकारियो, जो उप चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थ हो और वह उनका गृह क्षेत्र हो अथवा वह पिछले 4 वर्षो में 3 वर्ष उप निर्वाचन वाले विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ रहे हो या फिर उनकी पदस्थापना को 3 वर्ष आकस्मिक रिक्ती के बाद 6 माह के भीतर पूरे होने वाले है, का स्थानांतरण निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किया जायेगा।